प्रेस नोट
दिनांक 30.03.2026

थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा जानलेवा हमला करने के आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार–

कार्यवाहीः–

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तरबगंज श्री उमेश्वर प्रभात सिंह के नेतृत्व में थाना नवाबगंज पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0–85/2026 धारा 109(1),115(2),352,351(3) बीएनएस से सम्बन्धित आरोपी अभियुक्त सूरज उर्फ लक्की पुत्र प्रदीप कसौधन निवासी विसाता गली बभनान थाना गौर जनपद बस्ती को लोलपुर हाईवे के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

वादी सौरभ गोस्वामी पुत्र बदी विशाल गोस्वामी निवासी ग्राम पचरन, थाना खरगूपुर, जनपद गोण्डा द्वारा थाना नवाबगंज में लिखित तहरीर दी गयी कि दिनांक 05.02.2026 को परीक्षा देकर लौटते समय एम्पल्स स्कूल परसापुर थाना नवाबगंज के पास विपक्षी अभी जायसवाल व अर्जुन दूबे द्वारा अपने साथी अभियुक्तों के साथ रोककर गाली–गलौज करते हुए लाठी, डंडा, रॉड व हॉकी से मारपीट की गई, जिससे प्रार्थी को चोटें आईं। हल्ला करने पर आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। वादी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना नवाबगंज में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसमें नवाबगंज पुलिस द्वारा घटना में संलिप्त आरोपी अभियुक्त सूरज उर्फ लक्की पुत्र प्रदीप कसौधन निवासी विसाता गली बभनान थाना गौर जनपद बस्ती को लोलपुर हाईवे के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. सूरज उर्फ लक्की पुत्र प्रदीप कसौधन निवासी विसाता गली बभनान थाना गौर जनपद बस्ती।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0– 85/2026 धारा 109(1),115(2),352,351(3) बीएनएस थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. उ0नि0 दूधनाथ चतुर्वेदी।
03. हेड0 का0 सुनील यादव।
04. हेड0 का0 सौरभ सिंह।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 30.03.2026

थाना को0 नगर पुलिस द्वारा चोरी करने के आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार–

कार्यवाहीः–

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री आनन्द कुमार राय के नेतृत्व में थाना को0 नगर पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0–153/26, धारा 331(4),305(ए) बीएनएस से सम्बन्धित आरोपी अभियुक्त अनिल तिवारी पुत्र अंजनी तिवारी निवासी मौजा कंछर थाना विशेश्वरगंज जनपद बहराइच को रेलवे स्टेशन गोण्डा के पास से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 1350 रू0 बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

वादी अपूर्व टंडन पुत्र अनूप टंडन निवासी नैयर कालोनी, गोण्डा द्वारा थाना को0 नगर में लिखित तहरीर दी गयी कि दिनांक 17.02.2026 की रात्रि में अज्ञात व्यक्ति द्वारा उनकी जन औषधि केंद्र (महिला अस्पताल परिसर) का ताला तोड़कर कुछ रुपये चोरी कर लिये गए है। वादी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना को0 नगर में अज्ञात अभियुक्त के विरूद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसमें आज दिनांक 30.03.2026 को थाना को0 नगर पुलिस द्वारा घटना कारित करने के आरोपी अभिय अनिल तिवारी पुत्र अंजनी तिवारी निवासी मौजा कंछर थाना विशेश्वरगंज जनपद बहराइच को रेलवे स्टेशन गोण्डा के पास से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 1350 रू0 बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना को0 नगर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. अनिल तिवारी पुत्र अंजनी तिवारी निवासी मौजा कंछर थाना विशेश्वरगंज जनपद बहराइच।

अनावरित अभियोग–

01. मु0अ0सं0–153/26, धारा 331(4),305(ए) बीएनएस थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

बरामदगी–

01. 1350/– रू0 नकद।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. उ0नि0 अंकित उपाध्याय।
02. उ0नि0 रोहित रणवीर।
03. का0 पीयूष गोस्वामी।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 30.03.2026

‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत प्रभावी पैरवी से दहेज प्रताड़ना व मारपीट करने के आरोपी अभियुक्त को हुई 01 वर्ष का कारावास व रूपये 6,000/- के अर्थदण्ड की सजा–

घटना का संक्षिप्त विवरण–
दिनांक 15.12.2011 को वादिनी गीता सिंह द्वारा थाना परसपुर में लिखित तहरीर दी गयी उसकी शादी वर्ष 2000 में ग्राम दिकौली थाना परसपुर निवासी ध्रव कुमार पुत्र राजकुमार सिंह के साथ हुई थी। शादी के बाद 07 साल रही। तभी से अब तक उसके पति द्वारा दहेज की बात को लेकर मारपीट की जा रही है। वादिनी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना परसपुर में नामजद अभियुक्त के विरूद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसमें परसपुर पुलिस द्वारा नामजद अभियुक्त के विरूद्ध साक्ष्य संकलन व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।

दोषसिद्धि का विवरण–
श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ महोदय के आदेश के क्रम एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरूद्ध माननीय न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जिसके क्रम में आज दिनांक 30.03.2026 को थाना परसपुर में पंजीकृत दहेज प्रताड़ना व मारपीट सम्बन्धी अपराध में सहायक अभियोजन अधिकारी श्री नित्यानंद यादव, थाना परसपुर के पैरोकार आ0 शशिकांत व कोर्ट मोहर्रिर का0 पवन पटेल के द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप सिविल जज (जू0डि0/एफ0टी0सी0 द्वितीय) महोदय श्री योगेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा अभियुक्त ध्रुव कुमार को दोषसिद्ध करते हुए 01 वर्ष का कारावास व रूपये 6,000/- रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

अभियुक्त का नाम पता–
01. ध्रुव कुमार पुत्र राजकुमार सिंह नि0 ग्राम दिकौली थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

अभियोग का विवरण–
01. मु0अ0सं0–217/09, धारा 498ए,323,506,494 भादवि थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 30.03.2026

‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत प्रभावी पैरवी से नाबालिग लड़की के साथ छेडछाड़ करने के आरोपी अभियुक्त को हुई 04 वर्ष का सश्रम कारावास व रूपये 9,000/– के अर्थदण्ड की सजा–

घटना का संक्षिप्त विवरण–
दिनांक 24.05.2017 को रात्रि लगभग 08:00 बजे मोहल्ला राजा कोरी टोला, गोण्डा में 13 वर्षीय बालिका के साथ आरोपी कमल उर्फ रमन पुत्र अन्तु निवासी महराजगंज द्वारा खेत में शौच के दौरान छेड़छाड़, गाली–गलौज व जान से मारने की धमकी दी गयी थी। शोर मचाने पर स्थानीय लोगों द्वारा आरोपी को पकड़ लिया गया तथा थाना कोतवाली नगर को सुपुर्द किया गया था। जिसमें थाना को0 नगर पुलिस द्वारा आरोपी अभियुक्त के विरूद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया। थाना स्थानीय पर तत्कालीन विवेचक द्वारा साक्ष्य संकलन व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया।

दोषसिद्धि का विवरण–
श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ महोदय के आदेश के क्रम एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरूद्ध माननीय न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जिसके क्रम में आज दिनांक 30.03.2026 को थाना को0 नगर में पंजीकृत नाबालिग लड़की के साथ छेडछाड़ व मारपीट सम्बन्धी अपराध में अभियोजक श्री अनूप प्रताप सिंह, थाना को0 नगर के पैरोकार का0 दुर्गेश कुमार व कोर्ट मोहर्रिर हेड का0 प्रमोद कुमार के द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अपर सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0 प्रथम महोदया श्रीमती नित्या पाण्डेय द्वारा अभियुक्त कमल उर्फ रमन को दोषसिद्ध करते हुए 04 वर्ष का सश्रम कारावास व रूपये 9,000/– के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

अभियुक्त का नाम पता–
01. कमल उर्फ रमन पुत्र अनन्तू नि0 मो0 महराजगंज थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

अभियोग का विवरण–
01. मु0अ0सं0–504/17, धारा 354ए,504,506 भादवि व 3(1),(5) एस0सी0एस0टी0 एक्ट व 7/8 पाक्सो एक्ट थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

मीडिया सेल, गोण्डा।